

FORM-1
(For linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District collector KOTA

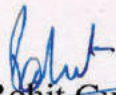
No./Rev.III/2017/ 1508

Dated 27.5.2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's Letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF,s letter dated 5th February 2013 whereing MoEF issued certain relaxation in respect of linear project. It is certified that 4.00 Hactares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer PHED KOTA (Name of user agency) for Borabas-Mandana Water Supply Project (purpose for diversion of forest land) in Kota district falls within jurisdiction villages in Ladpura tehsil. (Annexed)
It is further certified that -

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.00 hac. of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights Committee (s), Gram Mohalla Sabha (s), Sub-Divisional Level Committee (s), and the district Level Committee are enclosed as.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram/Mohalla Sabhas have given the consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of Promotive Tribal groups an Pre-agricultural communities,
Encl; As above.


(Rohit Gupta)
District Collector & District Magistrate
Kota (Raj.)

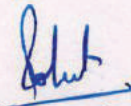
कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा
बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 19.05.2017 को 10.30 बजे जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 के अन्तर्गत कोटा शहरी क्षेत्र के म्यूनिसिपल क्षेत्र के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये।

1. उपवन संरक्षक कोटा ।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , नगर निगम, कोटा।
3. श्रीमति सुनीता मीणा वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा।
4. श्री रामलाल भील, वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा।
5. श्रीमति रजिया पठान, वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा।

बैठक में उपस्थित सदस्यों को उक्त अधिनियम की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर , कार्यालय कोटा के पत्रांक प. 17 (17)/राजस्व III/1407 दिनांक 17.05.2017 की पालना में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खण्ड प्रथम कोटा द्वारा परियोजना की जानकारी दी गई। बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत डाली जाने वाली पाइप लाइन में आ रही वन भूमि (जिसकी अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खण्ड प्रथम कोटा से प्राप्त सूची संलग्न है, के अनुसार) , जो नगर निगम क्षेत्र कोटा में आती है, से संबंधित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 के अन्तर्गत कोई दावा इस जिला स्तरीय समिति शहरी क्षेत्र के म्यूनिसिपल क्षेत्र कोटा के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। अतः बैठक में सर्वसम्मति से उक्त बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


जिला कलेक्टर
कोटा
दिनांक 27-5-2017

क्रमांक:प. ()राजस्व-III/16/ 1501
प्रतिलिपी:-

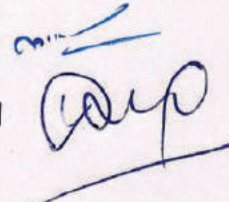
- 1-उपवन संरक्षक कोटा ।
- 2-मुख्य कार्यकारी अधिकारी , नगर निगम, कोटा।
- 3-श्रीमति सुनीता मीणा वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा।
- 4-श्री रामलाल भील, वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा।
- 5-श्रीमति रजिया पठान, वार्ड पार्षद नगर निगम कोटा।

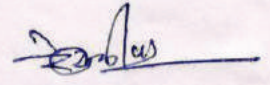
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटाबैठक कार्यवाही विवरण

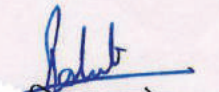
आज दिनांक 19.05.2017 को 10.30 बजे जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 के अन्तर्गत कोटा जिला ग्रामीण क्षेत्र के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये।

1. उपवन संरक्षक कोटा।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कोटा।
3. श्रीमति मैना कुमारी सदस्य जिला परिषद कोटा।
4. श्री जम्बू कुमार मीणा, जिला परिषद कोटा।
5. श्रीमति रेखा सदस्य, जिला परिषद कोटा।


मैनाकुमारी



बैठक में उपस्थित सदस्यों को उक्त अधिनियम की जानकारी दी गई। जिला कलेक्टर, कार्यालय कोटा के पत्रांक प. 17 (17)/राजस्व III/1407 दिनांक 17.05.2017 की पालना में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खण्ड प्रथम कोटा द्वारा परियोजना की जानकारी दी गई। बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत डाली जाने वाली पाइप लाइन में आ रही वन भूमि (जिसकी अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खण्ड प्रथम कोटा से प्राप्त सूची संलग्न है, के अनुसार), जो कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आती है, से संबंधित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 के अन्तर्गत कोई दावा इस जिला स्तरीय समिति कोटा जिला ग्रामीण क्षेत्र के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। अतः बैठक में सर्वसम्मति से उक्त बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्णय लिया गया।
बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


जिला कलेक्टर
कोटा

क्रमांक:प. ()राजस्व-III/16/ 1500
प्रतिलिपी:-

दिनांक 27-5-2017

- 1-उपवन संरक्षक कोटा।
- 2-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कोटा।
- 3-श्रीमति मैना कुमारी सदस्य जिला परिषद कोटा।
- 4-श्री जम्बू कुमार मीणा, जिला परिषद कोटा।
- 5-श्रीमति रेखा सदस्य, जिला परिषद कोटा।

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा

क्रमांक: प.17 () राजस्व-III / 1502-7
उपवन संरक्षक,
कोटा।

दिनांक:- 27.5.2017

विषय:- बोराबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को देने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग परियोजना खण्ड प्रथम कोटा के पत्र क्रमांक 138-140 दिनांक 28.07.2015 से बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आने वाली 04 हेक्टर वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि वन विभाग को दिये जाने हेतु निवेदन किया गया था। जिसके कम में उपखण्ड अधिकारी कोटा के पत्र क्रमांक 1148 दिनांक 18.12.2015 से बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि में डाली जाने वाली पाइप लाइन में आ रही वन भूमि के समतुल्य राजस्व भूमि दिये जाने हेतु ग्राम जोधपुरा के ख0न0 407 रकबा 13.40 है0 किस्म भूमि चारागाह में से 4.00 पश्चिम के तरफ तथा साथ ही चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम जोधपुरा के सिवायचक ख0न0 20 रकबा 4.65 है0 किस्म भूमि बंजड में से 4.00 है0 भूमि उत्तर के निर्धारित चैकलिस्ट में प्रस्ताव प्राप्त किये गये। पटवारी रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूमि खाली है तथा उक्त भूमि वन विभाग को देने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त कम में आप द्वारा भी पत्र क्रमांक एफ () तक0/उवसं/2015-16/843 दिनांक 22.01.2016 से वन भूमि के बदले समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम जोधपुरा के ख0न0 407 रकबा 13.40 है0 किस्म भूमि चारागाह में से 4.00 है0 भूमि को वन विभाग को हस्तान्तरण करने हेतु सहमति दी गई है। ग्राम पंचायत मांदलिया, पं0स0 लाडपुरा द्वारा भी उक्त भूमि को वन विभाग को दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी कोटा के प्रस्तावानुसार एवं आपकी सहमति तथा ग्राम पंचायत मांदलिया की अनापत्ति के आधार पर बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि में डाली जाने वाली पाइप लाइन में आ रही वन विभाग की भूमि नगर निगम कोटा की सीमा के ग्राम रानपुर, दौलतगंज, रोझडी, जगपुरा, बंधा, आनन्दपुरा उर्फ फूटा तालाब, आनन्दपुरा, लखावा, रथकांकरा की 1.40 हेक्टर कोटा जिला के ग्रामीण क्षेत्र के तथा ग्राम डोबडा, सारंगपुर, लक्ष्मीपुरा उर्फ कोलाना, कसार, श्यामपुरा, रानक्याखेडी, खानपुरिया, पचपाहड, डोलिया, विजयपुरा, पाचनकुई, किशोरसागर, केवलनगर, आलनिया, पृथ्वीपुरा किशनपुरा, जसपुरा, केशोपुरा, रोझला, मंदरगढ, बोराबास की 2.60 हेक्टर कुल रकबा 4.00 है0 (सूची सलग्न) के बदले, राजस्व भूमि ग्राम जोधपुरा के ख0न0 407 रकबा 13.40 है0 किस्म भूमि चारागाह में से 4.00 है0 भूमि (पश्चिम की तरफ) को वन विभाग को हस्तान्तरण किये जाने की सहमति दी जाती है तथा चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम जोधपुरा के ख0न0 20 रकबा 4.65 है0 किस्म भूमि बंजड में से 4.00 है0 भूमि (उत्तर की तरफ) को चारागाह में परिवर्तित की जाती है। अतः बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत आने वाली वन विभाग की भूमि में पाइप लाइन डाले जाने के कार्य हेतु शीघ्र वन भूमि नियमानुसार आवंटन करने का श्रम करे।

भवदीय

जिला कलेक्टर
कोटा

क्रमांक: प.17 () राजस्व-III / 1502-7

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपवन संरक्षक, कोटा।
2. अधीक्षण अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना वृत झालावाड।
3. अधिशाषी अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, परियोजना खण्ड कोटा।
4. उपखण्ड अधिकारी, कोटा।
5. तहसीलदार, लाडपुरा।
6. ग्राम पंचायत मांदलिया, पंचायत समिति लाडपुरा, जिला कोटा।
7. रक्षित पत्रावली।

दिनांक:- 27.5.17

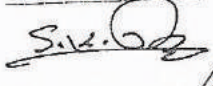
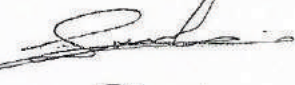
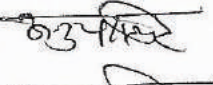
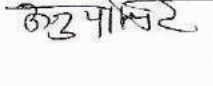
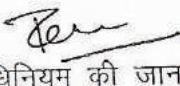
भवदीय

जिला कलेक्टर
कोटा

कार्यालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, कोटा
www.kota.nic.in

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 9.10.2015 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 व नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति नगरनिगम, कोटा क्षेत्र की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये

क्र०स० नाम सदस्यगण	हस्ताक्षर	मोबाइल नम्बर
1-श्री सुरेश मीणा वार्ड पार्षद न०नि०कोटा		8829057777
2-श्रीमति सुनीता मीणा वार्डपार्षद--		7073365970
3-श्री ओमकृष्ण गुंजल वार्डपार्षद--		
4-श्री सहायक वन संरक्षक वनमण्डल कोटा		
5-श्रीमति रिकल गुप्ता राजस्व अधिकारी नगरनिगम, कोटा		

बैठक में उपस्थित सदस्यों को उक्त अधिनियम की जानकारी दी गई। श्रीमान अति० जिला कलेक्टर, कोटा के पत्रांक/प.०राज-III/ 2527 दिनांक 7.9.2015 की पालना में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा० अभियांत्रिक विभाग परियोजना खण्ड प्रथम, कोटा द्वारा परियोजना की जानकारी दी गई। बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि में डाली जाने वाली पाइप लाइन में आ रही वन विभाग की संरक्षित वन भूमि जिसकी अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा० अभियांत्रिक विभाग परियोजना खण्ड प्रथम, कोटा से प्राप्त सूची सलग्न है के अनुसार वन भूमि जो नगर निगम क्षेत्र, कोटा में आती है, से संबंधित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 व नियम 2008 के अन्तर्गत कोई दावा इस उपखण्ड स्तरीय समिति नगर निगम क्षेत्र, कोटा के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। अतः बैठक में सर्वसम्मति से उक्त बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के लिये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, कोटा को अनापत्ति प्रमाण पत्र भिजवाने की अभिशंका की गई।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।


उपखण्ड अधिकारी
एवं अध्यक्ष वनाधिकार उपखण्ड स्तरीय समिति
नगर निगम क्षेत्र, कोटा
दिनांक 9.10.2015

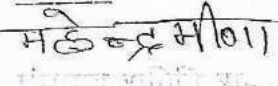
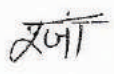
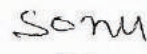
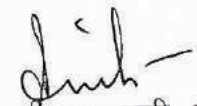
क्रमांक/वनाधिकार/2015/ 1020-1021
प्रतिलिपि :- श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, कोटा
2-श्री सदस्यगण


उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

कार्यालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, कोटा
www.kota.nic.in

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 9.10.2015 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 व नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील लाडपुरा, जिला कोटा क्षेत्र की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये
क्र०स० नाम सदस्यगण

	हस्ताक्षर	मोबाइल नम्बर
1-श्री महेन्द्र कुमार मीण प०स०सदस्य,लाडपुरा		9950679654
2-श्रीमति पूजा कुमारी		9166262008 7728044151
3-श्री सोनू कुमार		9784257360
4-श्री जय मिहें राठौर सहायक वन संरक्षक वनमण्डल कोटा		
5-विकास अधिकारी पंचायत समिति लाडपुरा		

बैठक में उपस्थित सदस्यों को उक्त अधिनियम की जानकारी दी गई। श्रीमान अति०जिला कलेक्टर, कोटा के पत्रांक/प.()राज-III/ 2527 दिनांक 7.9.2015की पालना में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा०अभियांत्रिक विभाग परियोजना खण्ड प्रथम,कोटा द्वारा परियोजना की जानकारी दी गई। बोराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत वन भूमि में डाली जाने वाली पाइप लाइन में आ रही वन विभाग की संरक्षित वन भूमि जिसकी अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा०अभियांत्रिक विभाग परियोजना खण्ड प्रथम,कोटा से प्राप्त सूची सलग्न है के अनुसार वन भूमि जो तहसील लाडपुरा क्षेत्र,कोटा में आती है, से संबंधित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 व नियम 2008 के अन्तर्गत कोई दावा इस उपखण्ड स्तरीय समिति तहसील लाडपुरा क्षेत्र कोटा के समक्ष वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। अतः बैठक में सर्वसम्मति से उक्त प्रमाण पत्र भिजवाने की अभिशंका की गई।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

क्रमांक/वनाधिकार/2015/1022-1023
प्रतिनिधि :- श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,कोटा
2-श्री सदस्यगण

उपखण्ड अधिकारी
एवं अध्यक्ष वनाधिकार उपखण्ड स्तरीय समिति
नगर निगम क्षेत्र,कोटा

दिनांक 24.09.2015 9-10-15
12

उपखण्ड अधिकारी,कोटा

कार्यालय ग्राम पंचायत डोलिया
पंचायत समिति लाड़पुरा, जिला कोटा-324001 (राज.)

प्रेषत :-

श्रीमान

मेसजाल

डोलिया

40860

दिनांक : 21/08/2015

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

पूर्व सम्मति से यह निर्माण लिया गया कि जलदायक
प्रमाण द्वारा डोलिया ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत जो
रमि वन क्षेत्र में आती है उसमें कोराबास मण्डाना
मजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पाईप लाइन
छोत्रे के कार्य हेतु ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति
नहीं है। अतः पंचायत डोलिया के अन्तर्गत वन क्षेत्र में
म डोलिया, रिझानपुरा, जलपुरा, बेड़ोपुरा, मन्दिरगढ़ में
म पाईप बिछाने हेतु वन विभाग की स्वीकृति पत्र
बोने की इच्छा भी जाली है।

प्रमाणित



सचिव

ग्राम पंचायत डोलिया
लाड़पुरा, जिला कोटा



कार्यालय ग्राम पंचायत बौराबास

पंचायत समिति लाइपुरा, जिला-कोटा (राज.)

(10)

शिवराम

सरपंच

ग्राम पंचायत बौराबास

Mob.: 9460949187

प्रेषित

क्रमांक : ग्रा. पं. बौराबास (33)

अनापत्ति पुमाण पत्र

दिनांक... 06/08/18...

स्वतंत्र सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि जलराम
विभाग द्वारा बौराबास ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत
जो भूमि वन क्षेत्र में आती है उसमें बौराबास मण्डल,
पैयजल पीर योजना के अन्तर्गत पैयजल पाइप लाइने
विधान के कार्य हेतु ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की
अपत्ति नहीं है। अतः ग्राम पंचायत के अन्तर्गत वन क्षेत्र
में ग्राम बौराबास से सतकाकरा तक पाइप लाइने
विधान हेतु वन विभाग की स्वीकृति जारी करने
की अभियोगिता की जाती है।

Shikha
ग्राम सचिव परम लक्ष्मी
ग्राम पंचायत बौराबास
प. स. लाइपुरा कोटा

शिवराम
सरपंच
ग्राम पंचायत बौराबास
प. स. लाइपुरा कोटा

(23)

कार्यालय ग्राम पंचायत कोलाना

पंचायत समिति लाड़पुरा, जिला-कोटा (राज.)

रामकरण गुर्जर

सरपंच

Mob.: 9829455241

मांक : ६७

प्रमाण-पत्र

दिनांक... 19/8/15

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कोलाना ने सर्व सम्पत्तियों पर महसिले लिए गए हैं कि जलदाय विभाग द्वारा कोलाना ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमि वन क्षेत्र में शामिल है उसमें कोलाना मण्डल परमजल परिमोपना के अन्तर्गत परमजल परिसर शामिल है कार्य हेतु ग्राम पंचायत की लिखी स्मृति आपसे नहीं है। अतः ग्राम पंचायत के अन्तर्गत वन क्षेत्र में ग्राम कोलाना लक्ष्मीपुरा, धरमपुरा, श्यामपुरा, जनेर, कुई, पचपहाड़ तथा माकलीया से सरेगपुर एवं बाकरी क्षेत्रों में परमजल विधानों हेतु वन विभाग से स्वीकृति करने की दिशियों की जाती है।

मह. प्रमाण-पत्र दिनांक 19/8/15 को भेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा द्वारा जारी किया गया।


ग्राम सेवक धर्मेन्द्र सायन
ग्र. ई. कोलाना
प. स. लाड़पुरा (कोटा)

रामकरण
सरपंच
ग्र. प. कोलाना
प. स. लाड़पुरा

(12)

कार्यालय ग्राम पंचायत कसार पं. स. लाडपुरा (कोटा)

क्रमांक : 347

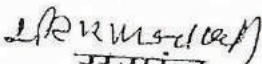
अनापत्ती प्रमाण पत्र

दिनांक 20/08/2015

आज दिनांक 20-08-2015 को बैठक में पंचायत की सोरम द्वारा सर्वसहमती से यह निर्णय लिया गया कि जलदाय विभाग द्वारा जल पंचायत कसार के निम्न गाँवों में (1) कसार, (2) रामन्या स्वेडी (3) रामगाट (4) व खानपुरिया के गाँवों में पेयजल हेतु सभी गाँवों के क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमी वन क्षेत्र में आती है। उसमें बौराबास-मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाइन बिछाने के कार्य हेतु जल पंचायत को किसी प्रकार की आवृत्ति नहीं है।

पाइप लाइन बिछाने हेतु वन विभाग को स्वीकृति जारी करने की अनुरोध की जाती है।


ग्रामसेवक पदम सचिव
कसार पंचायत कसार
क. स. लाडपुरा डि. कोटा (राज.)


सरपंच
ग्राम पंचायत कसार
पं. स. लाडपुरा (कोटा)

कार्यालय ग्राम पंचायत आलनिया

पंचायत समिति लाडपुरा, कोटा (राज.)

7023356450

91-92

दिनांक 20.08.2015

अनापत्ती उभावा पत्र

आज दिनांक 20.08.2015 को बैठक में पंचायत की बैठक कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जलकाम विभाग कर आलनिया ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत जल निकास क्षेत्र में आती है उसमें बोरबास भंडाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाइन बिछाने के कार्य हेतु ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है अतः ग्राम पंचायत के अन्तर्गत जल क्षेत्र में ग्राम आलनिया, खैरलनगर, विजयपुरा एक पाइप लाइन बिछाने हेतु जल विभाग को स्वीकृति जारी करने की अनुरोध की जाती है

सचिव

ग्राम पंचायत आलनिया
पंचायत समिति लाडपुरा

सचिव

ग्राम पंचायत आलनिया
पंचायत समिति लाडपुरा

कार्यालय ग्राम पंचायत आलनिया

पंचायत समिति लाडपुरा, कोटा (राज.)

क्रमांक 15143A/62

दिनांक 20.7.16

अनापीत प्रमाण पत्र

आज दिनांक 20.07.2016 श्री बैंक में पंचायत श्री
कोशम द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि
जलयंत्र विभाग द्वारा आलीनगा ग्राम पंचायत क्षेत्र
के अन्तर्गत जो भूमि वन क्षेत्र में आती है उसमें
बौशबास मछरना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत
पेयजल पाइप लाइन बिछाने के कार्य हेतु ग्राम
पंच. से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।
अतः ग्राम पंच. के अन्तर्गत वन क्षेत्र में ग्राम
आलीनगा, केवलनगर विजयपुर वन पाइप लाइन
बिछाने हेतु जलयंत्र विभाग को N.O.C जारी
करने की अभिरक्षा की जाती है।

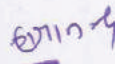
ग्रामपंच
सरपंच
ग्राम पंचायत आलनिया (कोटा)

सचिव

कार्यालय ग्राम पंचायत आलनिया

ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा प्रस्ताव संख्या **1** दिनांक **20.07.16** के द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र में बोराबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत बिछाई जाने वाली पाईप लाईन आने वाली वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.स.	ग्राम का नाम	प्रस्ताव क अन्तर्गत आने वाली वन भूमि (वर्गमीटर में)	विशेष विवरण
1.	विजयपुरा	1680	प्रस्ताव संख्या के अनुसार
2.	आलनिया	180	
3.	केबल नगर	1275	
	कुल	3135	


सचिव
ग्राम पंचायत आलनिया
प० स० लाडपुरा, कोटा (राज०)


सचिव
ग्राम पंचायत आलनिया
प० स० लाडपुरा, कोटा (राज०)

ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला वर्ष 200

क्र होने तारीख	हैठक का स्थान	पंच/समूह का नाम	उपरिष्ठित सदस्यों का नाम	हैठक की कार्यवाही का विवरण	हैठक में उपरिष्ठित सदस्यों के ह.
1	2	3	4	5	6
20-7-16	ग्रामजीवन्य ग्राम असरपय	ग्रीष्म पोरवाल उप सरपंच		आज दिनांक 20.07.2016 को ग्राम पंचक असीनता के अखंड सेवा सेन्टर में पौष्टिक बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सरपंच साहब श्री गजानन्द गोविंदा काशी जी ने की। सर्वप्रथम गल बैठके कार्यवाही का सर्वसाधारण से अनुमोदन किया गया। लक्ष्मीदास अग्रिम कार्यवाही का प्रावधान किया। सर्वप्रथम इस बैठक का मिनट लिखा गया।	
		निवेन्द्र नागर वाईपेंच	श्री प्रदीप सिंह		
		हालात्ता	नीमरा सिंह		

होमलॉग
मिनिस्ट्र

डीप रिजर्व
रिजर्व

मिनिस्ट्र ऑफ फिनेंस
रिजर्व
रिजर्व

रिजर्व
रिजर्व

रिजर्व
रिजर्व

रिजर्व
रिजर्व

रिजर्व
रिजर्व

रिजर्व
रिजर्व

रिजर्व
रिजर्व

रिजर्व
रिजर्व

रिजर्व

रिजर्व
रिजर्व

रिजर्व

रिजर्व

रिजर्व

रिजर्व

रिजर्व



कार्यालय ग्राम पंचायत बौराबास

पंचायत समिति लाइपुरा, जिला-कोटा (राज.)

शिवराम

सरपंच
ग्राम पंचायत बौराबास
Mob.: 9460948187

प्रेषित

क्रमांक : ग्रा. पं. बौराबास (33)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

दिनांक... 06/08/15

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि जलशाय विभाग द्वारा बौराबास ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमि वन क्षेत्र में आती है उसमें बौराबास मोडाना पेयजल पीर योजना के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाइने बिछाने के कार्य हेतु ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः ग्राम पंचायत के अन्तर्गत वन क्षेत्र में ग्राम बौराबास से सतकांकरा तक पाइप लाइने बिछाने हेतु वन विभाग की स्वीकृति जारी करने की अभियान की जाती है।

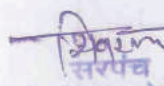
Shikha
ग्राम सचिव पद पर अधिकारी
ग्राम पंचायत बौराबास
प. स. लाइपुरा कोटा

शिवराम
सरपंच
ग्राम पंचायत बौराबास
प. स. लाइपुरा कोटा

कार्यालय ग्राम पंचायत बोराबास

ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा प्रस्ताव संख्या ०१ दिनांक ०६-०८-१५ के द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र में बोराबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत बिछाई जाने वाली पाईप लाईन आने वाली वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.स.	ग्राम का नाम	प्रस्ताव क अन्तर्गत आने वाली वन भूमि (वर्गमीटर में)	विशेष विवरण
1.	बोराबास	1242.4	प्रस्ताव संख्या ०१ के अनुसार


सरपंच
ग्राम संवक पदेन सचिव
ग्राम पंचायत बोराबास
तह. लाडपुरा जिला कोटा (राज.)
तह. लाडपुरा कोटा

7/2

1	2	3	4	5	6
बैठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में सदस्यों के
1 6 2-15	2 आधुनिक केंद्र (बारा)	3 श्री शिवराम जी सरपंच ग्राम पंचायत मोरवांस स. लाडपुरा कोटा	4	5 आज दिनांक 6.8.15 की ग्राम पंचायत बाराबास में पंचायत कोरम की पाकिस्तान के आयोजन कार्य सेवा केंद्र बाराबास में सरपंच साहब श्री शिवराम जी के अध्यक्षता में आयोजित की गई।	
		6 सरपंच ग्राम पंचायत मोरवांस स. लाडपुरा जिला कोटा (राज.)		7 बैठक में सर्वे प्रथम गत बैठक की कार्यवाही की पढ़कर सुनाई गई।	
	8 मेरु जी		9 श्री शिवराम जी	10 उस्ताव व न-पू पैयजल परियोजना के अन्तर्गत न-पू पैयजल पाइप लाइन बिछाने का कार्य। - ग्राम पंचायत में ग्राम बाराबास से रस्ता कांकरा तक पैयजल पाइप लाइन डालने का उस्ताव रख मुहैया कराया। की दोनो गांवों के बीच पड़ने वाला जंगल का जमीन हट कर पन विभाग की स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।	

पत्र संख्या - 1

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

आर. के. भार्गव एण्ड सन्स

कोटा-6

G. P. 11

ताम पंचायत / न्याय उप समिति

बौराबास

पंचायत समिति

लाडपुरा

जिला

बीकानेर

वर्ष 2015-

होने रीस	बैठक का स्थान	पंच / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
6	आलखुआ कोटा (बौराबास)	श्री शिवराम जी सरपंच ग्राम पंचायत बौराबास प. स. लाडपुरा कोटा		राज फिनांक 6.8.15 को ग्राम पंचायत बौराबास में पंचायत स्तर पर की जा सकने वाली कार्यवाही का आयोजन करके सेवा केन्द्र बौराबास में सरपंच साहब श्री शिवराम जी के अध्यक्षता में आयोजित की गई।	नाथराज कोटा
		रामा प्रभु	नेदुजी कुसा	बैठक में सर्वे प्रथम गत बैठक की कार्यवाही को शीघ्रता पककर सुनाई गई।	लाडपुरा
		कांत	श्रीमती श्रीमती	उस्ताव व न. न. पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पारंपरिक विभाग के कार्य। - ग्राम समा में ग्राम बौराबास से रक्षकों के तहत पेयजल पारंपरिक लाइन डालने का उस्ताव समुदाय से लिया गया कि दोनो गांवों के बीच पड़ने वाला जंगल की जमीन छेड़ पन विभाग की स्वीकृति जारी करने की अभियंता की	

<i>[Signature]</i> ग्राम पंचायत बोरावास ग्राम पंचायत बोरावास प. नं. लाडपुरा कोटा	<i>[Signature]</i> ग्राम पंचायत बोरावास ग्राम पंचायत बोरावास प. नं. लाडपुरा कोटा	की स्वीकृति जारी करने की अभिलाषा की जाती है। पुरस्ताव नं.-२ जन्म व मृत्यु पर चर्चा :- पुनः पंचायत कोरम पाक्षिक बैठक में उपस्थित वड पंचा स्व. आंगनवाडी कार्यकर्ताओं व न.न.प. से जन्म व मृत्यु पर चर्चा की गई एवं जानकारी दी गई। सभी वड पंचा द्वारा जानकारी दी गई कि सभी जन्म व मृत्यु का डेटा फिल पंचायत कार्यालय में जाकर पंजीयन करावे। पुरस्ताव नं.-३ राष्ट्रीय पोषाहार पर चर्चा :- बैठक में उपस्थित वड पंचा की स्कुल में एक रद्द राष्ट्रीय पोषाहार का चेक करने व पोषाहार समय पर अच्छा मिल रहा है। यामही जाकर देखने डेटा कहा गया। पुरस्ताव नं.-४ शौचालय निर्माण पर चर्चा :- बैठक में उपस्थित वड पंचा की जानकारी दी गई कि सभी घरों में शौचालय होना जरूरी है। ग्राम सभी की शौचालय की जानकारी दी गई।
---	---	--

कार्यालय ग्राम पंचायत डोलिया

पंचायत समिति लाड़पुरा, जिला कोटा-324001 (राज.)

प्रेषक :-

नन्दलाल मेघवाल

सरपंच

ग्राम पंचायत डोलिया

मा.नं. 99281-40860

प्रेषत :-

श्रीमान्

क्रमांक : ①

दिनांक : 21/08/2015

अनापत्ति प्रमाण - पत्र

सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जलदाय विभाग द्वारा डोलिया ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमि वन क्षेत्र में आती है उसमें कोराबास मछाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाइन बिछाने के कार्य हेतु ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। अतः पंचायत डोलिया के अन्तर्गत वन क्षेत्र में ग्राम डोलिया, बिजानपुरा, जलपुरा, बेडोपुरा, मन्दिरगढ़ में पाइप लाइन बिछाने हेतु वन विभाग की स्वीकृति जारी करवाने की इच्छा की जाती है।

प्रमाणित



सरपंच

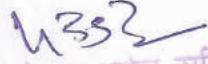
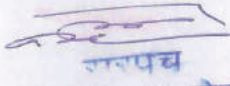
ग्राम पंचायत डोलिया
स. लाड़पुरा, ज. कोटा (राज.)

आम
नं. 99281-40860

कार्यालय ग्राम पंचायत डोल्या

ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा प्रस्ताव संख्या ०३ दिनांक 20/7/16 के द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र में बोराबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत बिछाई जाने वाली पाईप लाईन आने वाली वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.स.	ग्राम का नाम	प्रस्ताव क अन्तर्गत आने वाली वन भूमि (वर्गमीटर में)	विशेष विवरण
1.	रोझाला	1237.6	प्रस्ताव संख्या ०३ के अनुसार
2.	किशनपुरा	1305.2	
3.	जसपुरा	1924	
4.	केशोपुरा	1045.2	
5.	मन्दिरगढ	397.8	
6.	पृथ्वीपुरा	455	
7.	डोल्या	3790	
	कुल	10154.8 वर्ग मीटर	


 ग्राम सेवक पदेन सचिव
 ग्राम पंचायत डोल्या
 व. स. लाड़पुरा कोटा (राज.)

 ग्राम पंचायत डोल्या
 व. स. लाड़पुरा कोटा (राज.)

P.II प्रपत्र संख्या 1

बैठक कार्यवाही रजिस्टर ⑧

विजय स्टेजानरी मार्ट, आर्य समाज रोड
9352626682

ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला मेरठ वर्ष 2016-17 -20



ठक होने की तारीख	बैठक का स्थान	पंच / सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों के ह.
1 16	2 अटल टोका केड	3 श्री न. दुलाल प्रधान सरपंच डोल्पा	श्री बशीरुल्लाह वडिनी श्री भवानी शर्मा श्री मिलि कालिका श्री राधालाल श्री रमेश चंद श्री कल्याण सिंह उपसरपंच एवं गांधीवासी	आज दिनांक 20/11/2016 को ग्राम पंचायत की साधारण बैठक का आयोजन रखा गया। बैठक अटल टोका केड पर सुबह 11 बजे सरपंच भवानी शर्मा की अध्यक्षता में शुरू की गई। तब उपस्थित कार्यक्रम शुरू रहने पर गांधी केड की कार्यवाही को पढ़ा। सुनाया गया जिसमें सभी ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया तब पंचायत विभिन्न प्रस्ताव बिबेक के।	6
				प्रस्ताव सं. 1 -> शौचालय निर्माण पर न्याय -> आज की बैठक में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत ग्राम पंचायत डोल्पा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण पर न्याय की गई। सत्र में निर्णय कराया कि ग्राम पंचायत डोल्पा में शौचालय की पुर्तगी प्रदान की जाएगी। तथा आग आदमी	भवानी शर्मा कालिका राजू सरपंच

पंचायत समिति
ग्राम पंचायत डोल्पा
प.स. ताड़पुरा कोटा (राज.)

ग्राम पंचायत डोल्पा
प.स. ताड़पुरा कोटा (राज.)

उपस्थित ग्राम ग्रामवासी	हस्ताक्षर	शोचालम निर्माण के क्रम में नदी ले रहा है इस कारण शोचालमों की उगरी कायम दीनी है। अतः आज की बैठक में उपस्थित वर्गों को लक्ष्य दिया कि प्रचलित वादों में कुछ कम 10 शोचालमों का निर्माण करावेगा जिससे कि ग्राम पंचायत में शोचालम निर्माण की उगरी हो सके।	रमेश
रामभरोस	किशनासिंह	रामभरोस	
धनराजसिंह	छोहासिंह	धनराजसिंह	
नरेन्द्रसिंह	मोडासिंह	नरेन्द्रसिंह	
विश्वनाथसिंह	विश्वनाथसिंह	विश्वनाथसिंह	
रविन्द्रसिंह	लक्ष्मणासिंह	रविन्द्र	
कजोड़दास	सीताशम	कजोड़दास	
नन्दसिंह	नन्दसिंह	नन्दसिंह	
पुल्लड	किशनासिंह	पुल्लड	
गोपालसिंह	डाब्रासिंह	गोपालसिंह	
राजेशसिंह	महाराष्ट्र	राजेशसिंह	
मुकुन्दसिंह	किशनासिंह	मुकुन्द	

133
 ग्राम सचिव पद से संवि
 ग्राम पंचायत बोला
 प स लाडपुरा कोटा (राज)
 ग्राम पंचायत बोला
 प स लाडपुरा कोटा (राज)

No.	Tehsil	Village	Khasara No.	Scale = 1 Cm : 40 Mtr. (shown in Drawing)	Length	Width	Proposed Forest Area For Diversion (Sqm.)	Status of Forest area	Remarks
1	2	Ladpura	Prathivpura	103/1	40	700	0.65	455	Forest Land
2	Ladpura	Kishanpura	201	19	40	760	0.65	494	Forest Land
3	Ladpura	Kishanpura	206	22.7	40	908	0.65	590.2	Forest Land
4	Ladpura	Kishanpura	208	8.5	40	340	0.65	221	Forest Land
5	Ladpura	Jashpura	2	11.5	40	460	0.65	299	Forest Land
6	Ladpura	Jashpura	36	6	40	240	0.65	156	Forest Land
7	Ladpura	Jashpura	6	5.5	40	220	0.65	143	Forest Land
8	Ladpura	Jashpura	33	8.5	40	340	0.65	221	Forest Land
9	Ladpura	Jashpura	29	1	40	40	0.65	26	Forest Land
10	Ladpura	Jashpura	63	15	40	600	0.65	390	Forest Land
11	Ladpura	Jashpura	88	26.5	40	1060	0.65	689	Forest Land
12	Ladpura	Keshopura	3	30	40	1200	0.65	780	Forest Land
13	Ladpura	Keshopura	25	0.5	40	20	0.65	13	Forest Land
14	Ladpura	Keshopura	24	1	40	40	0.65	26	Forest Land
15	Ladpura	Keshopura	23	1.5	40	60	0.65	39	Forest Land
16	Ladpura	Keshopura	20	1	40	40	0.65	26	Forest Land
17	Ladpura	Keshopura	34	2	40	80	0.65	52	Forest Land
18	Ladpura	Keshopura	53	1.1	40	44	0.65	28.6	Forest Land
19	Ladpura	Keshopura	54	1.1	40	44	0.65	28.6	Forest Land
20	Ladpura	Keshopura	33/64	1.5	40	60	0.65	39	Forest Land
21	Ladpura	Keshopura	34	0.5	40	20	0.65	13	Forest Land
22	Ladpura	Rojhala	12	21.6	40	864	0.65	561.6	Forest Land
23	Ladpura	Rojhala	24	26	40	1040	0.65	676	Forest Land
24	Ladpura	Mandargari	308	15.3	40	612	0.65	397.8	Forest Land

[illegible]

25	Ladpura	Ratkankra	84	6.3	40	252	0.65	163.8	Forest Land
26	Ladpura	Ratkankra	86	5	40	200	0.65	130	Forest Land
27	Ladpura	Ratkankra	189	12.4	40	496	0.65	322.4	Forest Land
28	Ladpura	Ratkankra	190	16.4	40	656	0.65	426.4	Forest Land
29	Ladpura	Borabas	69	9.1	40	364	0.65	236.6	Forest Land
30	Ladpura	Borabas	38	2.5	40	100	0.65	65	Forest Land
31	Ladpura	Borabas	70	21.7	40	868	0.65	564.2	Forest Land
32	Ladpura	Borabas	80	1	40	40	0.65	26	Forest Land
33	Ladpura	Borabas	145	3.8	40	152	0.65	98.8	Forest Land
34	Ladpura	Borabas	513	5.2	40	208	0.65	135.2	Forest Land
35	Ladpura	Borabas	508	0.3	40	12	0.65	7.8	Forest Land
36	Ladpura	Borabas	132/647	2.7	40	108	0.65	70.2	Forest Land
37	Ladpura	Borabas	230	1.6	40	64	0.65	41.6	Forest Land
Total Area in hectare					Total Length	13312	Total area (SQM)	8652.8	
								0.86528	

Total Forest Area in Hectare.	0.865
Total Length of pipe laying in Forest Area(Mtr.)	13312

Executive Engineer
PHED Project DN I, Kota

13.01.2022

13.01.2022

Details of Forest Land under Koh Forest Division

Details of Forest Land coming under proposed pipelines of Borawas

Mandana Water Supply Project

S.No.	Name Of Village	Khasra No.	Dia Of Pipe (in mm)	Width Of Trench (in m)	Length Of Trench (in m)	Total Area (in sqm)
1	Dobra	721	150	0.65	272	176.8
		727	150	0.65	156	101.4
		729	150	0.65	92	59.8
2	Sarangpur	11	100	0.6	556	333.6
		25	100	0.6	256	153.6
		27	100	0.6	20	12
		54	100	0.6	508	304.8
3	Laxmipura (Kolana)	4	100	0.6	788	472.8
		13	100	0.6	408	244.8
		24	100	0.6	264	159.4
		46	100	0.6	668	400.8
		97	100	0.6	880	528
		161	100	0.6	840	504
		162	100	0.6	200	120
		180	100	0.6	260	156
		233	100	0.6	560	336
		236	100	0.6	108	64.8
		237	100	0.6	570	342
		263	100	0.6	160	96
		265	100	0.6	200	120
		267	100	0.6	280	168
		277/389	100	0.6	140	84
		323	100	0.6	296	177.6
		323/358	100	0.6	40	24
4	Kasar	1372	250	0.75	32	74
		1373	250	0.75	128	96
		1374	250	0.75	120	90
		1377	250	0.75	8	6
		1378	250	0.75	116	87
		1378/1617	250	0.75	80	60
		1379	250	0.75	20	15
		1412	250	0.75	40	30
		1413	250	0.75	12	9
		1357	250	0.75	208	156
		1414	250	0.75	32	24
		1410	250	0.75	280	210
5	Shyampura	13	100	0.6	16	9.6
		81	100	0.6	100	60
		89	100	0.6	48	28.8
		92/301	100	0.6	64	38.4
		97	100	0.6	76	45.6
		100	100	0.6	208	124.8
		101	100	0.6	188	112.8
		135	100	0.6	32	19.2
		217	100	0.6	200	120

Handwritten notes and signatures at the top of the page, including a signature and some illegible text.

		220/313	100	60	36
		259	100	320	192
		266	100	500	300
		157	100	40	24
6	Ranakyakheri	56	100	20	12
		426	100	636	381.6
		354	100	660	396
		393	100	632	379.2
		258	100	300	180
		353	100	192	115.2
		463/547	100	110	66
7	Khanpurlya	36	100	388	232.8
		43/338	100	540	324
		48	100	268	160.8
		49	100	30	18
		50	100	296	177.6
		51	100	80	48
		52	100	140	84
8	Pachpahar	261	100	12	7.2
		264	100	148	88.8
		280	100	368	220.8
		293	100	460	276
		295	100	40	24
		303	100	164	98.4
		368	100	72	43.2
9	Doliya	22	100	860	516
		28	100	440	264
		116		0.5	0
		212	100	508	304.8
		321/879	100	136	81.6
		644	100	30	18
		758	100	52	31.2
		759	100	204	122.4
		760	100	204	122.4
		761	100	336	201.6
		762	100	140	84
		763	100	480	288
		764	100	320	192
		643	100	0	0
		768	100	80	48
10	Rampur	1537	100	380	228
		1443	100	80	48
		1444	100	340	204
11	Daulatganj	25	100	1048	628.8
		86	100	108	64.8
		90	100	552	331.2
		273	100	20	12
		274	100	108	64.8
		205	100	164	98.4
		216	100	32	19.2
		275	100	288	172.8

			277	100	0.6	176	105.6
			278	100	0.6	248	148.8
			281	100	0.6	288	172.8
12	Rojhi		22	350	0.85	200	170
			23	350	0.85	480	408
			24	350	0.85	8	6.8
			25	350	0.85	32	27.2
			60	350	0.85	24	20.4
			61	350	0.85	628	533.8
			62	350	0.85	52	44.2
			166	350	0.85	240	204
			127	100	0.6	460	276
			128	100	0.6	88	52.8
			129	100	0.6	124	74.4
13	Vijaypura		2	250	0.75	584	438
			6	100	0.6	40	24
			8	250	0.75	116	87
			9	250	0.75	508	381
			10	250	0.75	64	48
			12	250	0.75	936	702
14	Jagpura		1	250	0.75	420	315
			86	250	0.75	304	228
			87	250	0.75	304	228
			88	250	0.75	372	279
			89	250	0.75	348	261
			93	250	0.75	504	378
		106/299		250	0.75	200	150
			106	250	0.75	2080	1560
15	Pachankui		54	100	0.6	392	235.2
			131	100	0.6	432	259.2
			170	100	0.6	72	43.2
			173	100	0.6	180	108
			172	100	0.6	152	91.2
			176	100	0.6	244	146.4
			181	100	0.6	408	244.8
			190	100	0.6	376	225.6
			193	100	0.6	632	379.2
			210	100	0.6	1376	825.6
16	Banda		24	150	0.65	468	304.2
			25	150	0.65	348	226.2
			26	150	0.65	56	36.4
17	Kishorsagar		975	100	0.6	120	77
	Anandpura(foot talav)	17/118	27	350	0.85	132	112.2
				350	0.85	240	204
			14	350	0.85	224	190.4
			28	350	0.85	44	37.4
			32	350	0.85	288	244.8
19	Anandpura		280	350	0.85	1760	1496
20	Lakhawa		90	350	0.85	160	136
			99	350	0.85	308	261.8
			101	350	0.85		176.8

twice

22/10/2020

रि. ऑफ. आद. (व.प.प.)
उप व. स.स. (व.प.प.)
म.प.प. (व.प.प.)

$$(3.14 + 0.86) = 4.00 \text{ Hect.}$$

Total Revenue Area in Hectare.	0.765
Total Length of pipe laying in Revenue Area(Mtr.)	10085
Total Wildlife Area in Hectare.	0.865
Total Length of pipe laying in Wild life Area(Mtr.)	13312

Detail of Wildlife (Forest & Revenue) Land Required Under FCA-80

Total length of pipeline	375330 m.	60140	338587	16.02%	Percentage
pipeline under forest area in meters	pipeline under Revenue area in meters				
area of pipeline	area of pipeline under forest area	19.14 hect.	17.28%		
ct. 23.14he	4.00 hect.				

ABSTRACT OF PIPELINE

To use

1971

1 Hectare	10000.000 Sqm	Qty in Hectare	Column1	Column2	3.13988
		TOTAL			31398.8
22	Aalniya	78	250	0.75	12
		74	250	0.75	228
		72	250	0.75	84
		59	250	0.75	308
		39	250	0.75	748
21	Kebal nagar	38	250	0.75	560
		401	100	0.6	128
		400	200	0.7	220
		399	200	0.7	360
		111	350	0.85	488
		110	350	0.85	492
		404	350	0.85	56
		402	350	0.85	780
					663
					47.6
					418.2
					414.8
					252
					154
					76.8
					420
					561
					231
					63
					171
					9

कार्यालय ग्राम पंचायत कसार पं. स. लाडपुरा (कोटा)

क्रमांक : गपक/127

दिनांक : 20/7/16

" अनापत्ति प्रमाण पत्र "

आज दिनांक 20/7/16 की कोरम द्वारा सहसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि जलदाय विभाग द्वारा ग्राम पंचायत कसार के निम्न गांवों में (1) कसार (2) रानक्याखेड़ी (3) रामनगर (4) खानपुरिया के गांवों में पेयजल हेतु सभी गांवों के क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमि वन क्षेत्र में आती है। उसमें बोरबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल पाइप लाइन विद्यमान के ऊपर हेतु ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इस परियोजना के अन्तर्गत विछाई जाने वाली पाइप लाइन में आने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.स. ग्राम का नाम प्रस्ताव के अन्तर्गत आने वाली भूमि (वर्गमीटर में)

1.	कसार	—	807
2.	रानक्याखेड़ी	—	1452
3.	रामनगर	—	
4.	खानपुरिया	—	1045.2
			3304.2

इस पाइप लाइन विद्यमान हेतु वन विभाग को स्वीकृति जारी करने की अभिरक्षा की जाती है।

(2)
प्रासेवक व पंचायत सांचक
ग्राम पंचायत कसार
प.स. लाडपुरा कोटा/राज.

सीताराम यादव
सरपंच
ग्राम पंचायत कसार
पं. स. लाडपुरा कोटा

बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

पंचायत समिति जिला वर्ष 200

होने की तिथि	बैठक का स्थान	पंच/सरपंच का नाम	उपस्थित सदस्यों का नाम	बैठक की कार्यवाही का विवरण	बैठक में उपस्थित सदस्यों की सं०
1	2	3	4	5	6
16	जटल सेवा केन्द्र उमार	श्री सीताराम चामरा	मुनीता गीतम	आज दिनांक 16/07/16 को ग्राम पंचायत की पारितोषिक बैठक का आयोजन श्रीमान् सीताराम चामरा सरपंच कादर की अध्यक्षता में की गई। प्रस्ताव - आज दिनांक 16/07/16 को ग्राम जरा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जलपाप विभाग जरा ग्रामपंचायत के निम्न गांवों उमार, र. रानपुरिया, रामनगर, रानपुरिया के गोबरों में पंचायत हेतु सभी गांवों के सेज के अन्तर्गत जो भूमि वन क्षेत्र में अभी है। उसमें कोरवास मद्यना पेपलर परियोजना के अन्तर्गत पेप जल पड़प लाइन विस्तार के कार्य हेतु ग्राम पंचायत को किसी प्रकार की आपसी नही है। इस परियोजना के अन्तर्गत विस्तार पाठे वली पाउप लाइन में जोते वली भूमि निम्न प्रकार में है। 1. उमार - 807 वर्ग मीटर 2. र. रानपुरिया - 1452 वर्ग मीटर 3. रानपुरिया - 1043.2 वर्ग मी. कुल - 3304.2 वर्ग मी. पाइप लाइन विस्तार हेतु वन विभाग की स्वीकृति जारी करने की अनुरोध की जाती है।	सीताराम चामरा मुनीता जपूरी सीता जडुना
		सविता प्रजापति (साथिन)	शश्वतलाल A.W.O.		
		ममलाल प्रजापति	म.प. बापुदेवी		कुलमुर्खी
		सुनिता नारायण	पति न. प.		सोमू
		सीताराम चामरा			अध्यापक
		लीलादेवी			सीताराम
		रजिनी देवी			सीताराम
				सीताराम चामरा सरपंच ग्राम पंचायत कसार प.स. लाडपुरा (कोटा)	सीताराम
				बाबूलाल / पारिलाल	
				केलाश स/रामा	
				देवनाथ / भावसिंह	
				जयदेव / रामचन्द्र	

कार्यालय ग्राम पंचायत कोलाना

पंचायत समिति लाड़पुरा, जिला-कोटा (राज.)

रामकरण गुर्जर

सरपंच

Mob.: 9829455241

क्रमांक : ६७

प्रमाण- पत्र

दिनांक... 19/8/15

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत कोलाना ने सर्व सम्पत्तियों पर मट निर्माण किया गया है कि जल्दाय विभाग द्वारा कोलाना ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत जो भूमि वन क्षेत्र में जाती है उसमें बोसास भोजना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत पेयजल परियोजना के कार्य हेतु ग्राम पंचायत की किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अतः ग्राम पंचायत के अन्तर्गत वन क्षेत्र में ग्राम कोलाना, लक्ष्मीपुरा, धर्मपुरा, श्यामपुरा, जिन-कुई, पचपहाड़ तथा बान्नीसिया के सारंगपुर एवं बाकरी खेड़ा ग्राम में परियोजना विधानों हेतु वन विभाग से खींची करने की क्षमता की जाती है।

मह. प्रमाण-पत्र दिनांक 19/8/15 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

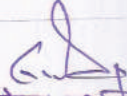

ग्राम सेवाक पदन सचिव
ग्र. प. कोलाना
प. स. लाड़पुरा (कोटा)

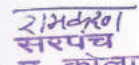
रामकरण
सरपंच
ग्र. प. कोलाना
प. स. लाड़पुरा

कार्यालय ग्राम पंचायत कोलाना

ग्राम पंचायत के कोरम द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 7-8-15 के द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र में बोराबास मण्डाना पेयजल परियोजना के अन्तर्गत बिछाई जाने वाली पाईप लाईन आने वाली वन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है।

क्र.स.	ग्राम का नाम	प्रस्ताव क अन्तर्गत आने वाली वन भूमि (वर्गमीटर में)	विशेष विवरण
1.	सांरगपुर	804	प्रस्ताव संख्या 02 के अनुसार
2.	कोलाना	3997.2	
3.	श्यामपुरा	1111.2	
4.	पचपहाड	758.2	
5.	पाचनकुई	2558.4	
	कुल	9229.0	


ग्राम सेवक पदार्थ सचिव
ग्राम पंच. कोलाना
पंच. स. लाडपुरा (कोटा)


सरपंच
ग्राम पंच. कोलाना
पंच. स. लाडपुरा

बैंक कार्यवाही विवरण रजिस्टर

आर. के. भार्गव एण्ड सन्स कोटा

ग्राम पंचायत / न्याय उप समिति

पंचायत समिति

जिला

[illegible]